अखिलेश कुमार सिंह

बनाम

यू. पी. राज्य जरिये डी. जी. सी. (सी. आर. एल.) और अन्य

(आपराधिक अपील 2008 की संख्या 399)

27 फरवरी, 2008

[के.जी. बालाकृष्णन सी. जे., आर. वी. रवींद्रन और डी. के. जैन, जे. जे.]

जमानत- सत्र मामला विचारण के लिए लंबित- प्रथम जमानत याचिका खारिज- दूसरी जमानत याचिका की मंजूरी- उच्च न्यायालय द्वारा रद्द की गई- चुनौती दी- आयोजित : मुकदमे के विचारण में देरी होने की स्थिति में आरोपी जमानत याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र हाेगा और सत्र न्यायालय गुणों के आधार पर उस पर विचार करेगा।

अपीलार्थी के खिलाफ अपराध अंतर्गत धारा 302, 395 सपठित धारा 120बी आईपीसी में मामला दर्ज किया गया था और विचारण लंबित है। अपीलार्थी की प्रथम जमानत याचिका खारिज कर दी गई और द्वितीय जमानत आवेदन स्वीकार कर लिया गया। आपराधिक विविध मामले में, उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत प्रदान करने वाले आदेश को रद्द कर दिया। अतः यह वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने आयोजित किया: जब मामला इस न्यायालय के समक्ष लंबित था, मामले को इस उम्मीद के साथ बार बार स्थगित किया गया था कि अभियोजन द्वारा महत्वपूर्ण गवाहों को परीक्षित करवाया जावेगा और विचारण जल्द से जल्द पूर्ण किया जावेगा। विचारण जारी है और अब तक अधिकांश गवाहों को परीक्षित करवाया जा चुका होगा। विचारण यदि अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, तो सत्र न्यायाधीश को इसे तीन माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिये जाते हैं और, यदि किसी कारण से, अभियुक्त के असहयोग को छोड़कर, विचारण में तीन माह से अधिक की देरी होती है तो अपीलार्थी जमानत के लिए सत्र न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र होगा और सत्र न्यायालय गुणों के आधार पर उस पर विचार करेगा। (पैरा 6) [547-एफ, जी; 548-ए]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील 2008 की संख्या 399

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आपराधिक विविध प्रकरण संख्या 2198/2002 के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांकित 20-12-2005 से।

राम जेठमलानी, लता कृष्णमूर्ति, एस. बालाजी, सुधांशु नाथ सिंह, मधुष्मिता बोरा, एस. आर. शर्मा और सौरभ अपीलार्थी के लिए।

डॉ. आर. जी. पाडिया, रंजीत कुमार, इरशाद अहमद, आर. के. एस. यादव, सुशील मिश्रा, ललित श्रीवास्तव और के. के. मोहन प्रत्यर्थीगण के लिए।

के. जी. बालाकृष्णन, सीजेआई के द्वारा न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

(1) अनुमति दी गई।

(2) अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 395 सपठित धारा 120बी के तहत पंजीकृत अपराध संख्या 311/2002 में अभियुक्त है। अपीलार्थी ने सत्र न्यायाधीश के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी और वही दिनांक 18-10-2002 को अस्वीकार कर दी गई। तत्पश्चात, अपीलार्थी ने एक और जमानत याचिका दिनांक 29-10-2002 को दायर की और वही दिनांक 07-11-2002 को स्वीकार की गई। उसी से व्यथित होकर, यहां द्वितीय प्रत्यर्थी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ में आपराधिक विविध मामला दायर किया। आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत देने के आदेश को रद्द कर दिया। अपीलार्थी को दी गई जमानत को रद्द करने में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया मुख्य कारण यह है कि प्रथम जमानत अर्जी वैध आधार पर खारिज कर दी गई थी और प्रथम जमानत अर्जी खारिज होने के मात्र 19 दिन पश्चात अपीलार्थी को जमानत के लिए आग्रह करने का कोई

अधिकार नहीं था क्योंकि परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। यह भी बताया गया कि दूसरे जमानत आवेदन में जो भी आधार सुझाये गये थे, वे पहले जमानत आवेदन में बताये जा सकते थे और दूसरे जमानत आवेदन में सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत देने के जो कारण दिये थे वे न्यायिक औचित्य के स्थापित सिद्धांतों का सरासर उल्लंघन में थे।

(3) हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना।

(4) अपीलार्थी के खिलाफ एक सत्र मामला विचाराधीन है। आरोप था कि अपीलकर्ता ने अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में सारणीबद्ध एक व्यक्ति की हत्या का प्रयास किया और अपीलकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। यह भी बताया गया है कि अपीलकर्ता ने यहां द्वितीय प्रत्यर्थी के भाई की हत्या करने का प्रयास किया था और इसके लिए भी अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 307 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। यह भी बताया गया है कि अपीलार्थी के खिलाफ कई अपराध दर्ज किये गये हैं।

(5) श्री राम जेठमलानी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित, ने बताया कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सारे मामले दर्ज किये गये हैं और ऐसे कई मामलों को जांच एजेंसी द्वारा आधारहीन पाये जाने पर बंद कर दिया गया था। मामलों की सूची प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि द्वितीय प्रत्यर्थी के खिलाफ

भी कई मामले लंबित हैं और उसे अपीलार्थी को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए कार्यवाही करने का अधिकार नहीं था।

(6) जब मामला इस न्यायालय के समक्ष लंबित था, मामले को इस उम्मीद के साथ बार बार स्थगित किया गया था कि अभियोजन द्वारा महत्वपूर्ण गवाहों को परीक्षित करवाया जावेगा और विचारण जल्द से जल्द पूर्ण किया जावेगा। विचारण जारी है और अब तक अधिकांश गवाहों को परीक्षित करवाया जा चुका होगा। विचारण यदि अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, तो सत्र न्यायाधीश, रायबरेली को इसे तीन माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिये जाते हैं और, यदि किसी कारण से, अभियुक्त के असहयोग को छोड़कर, विचारण में तीन माह से अधिक की देरी होती है तो अपीलार्थी जमानत के लिए सत्र न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र होगा और, उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में की गई टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना, सत्र न्यायाधीश गुणों के आधार पर उस पर विचार करेंगे और समुचित आदेश पारित किया जावेगा।

(7) अपील का निपटारा तदनुसार किया जाता है।

अपील निस्तारित की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रजत गुप्ता (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।